

पर मजाली पत्र दु...  
की उर्वरि/डिजी परमिणी क्रिया जात है।  
पुनः मजाली काम न कराने का काम है।  
आपको नुसार कार्रवाई किये जायेगा। रहे।  
[Signature]

20<sup>11</sup>/<sub>24</sub>

बकील वादी ने प्रार्थना पत्रपेश  
कर प्रकरण पत्र 23 ML के खाना  
संख्या 143 के मुख्या नंबर 56 के  
स्थान पर संबन्ध से मु. नं. 06  
अंकित होने अवगत किया जाकर  
उक्त मु. नं. 06 के स्थान पर मु.  
नं. 56 अंकित किये जाने का निवेदन  
किया। प्रार्थना पत्र पर पत्रावली  
का अवलोकन किया। बाद अवलोकन  
पाया कि लिपिकीय त्रुटि वत्रा मु. नं. 56  
की जगह 06 अंकित होने से उक्त  
में संशोधन किया जाता है।  
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।  
मूल आदेश में लाल पेन मु. नं. 06  
की जगह मु. नं. 56 अंकित किया  
जावे।

[Signature]